कार्यालय अधिशाषी अभियंता, जल संसाधन खण्ड प्रथम–डूँगरपुर

क्रमांकः– 4546 दिनांकः– 18-12-17

श्रीमान प्रधान मुख्य वनसरंक्षक,
राजस्थान जयपुर।

विषयः– बोर का भाटड़ा लघु सिंचाई परियोजना हेतु इन क्षेत्र के कास्तकारों को जमीन के बदले जमीन देने हेतु 6.5 हैक्टर वनभूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के संबंध में।
प्रसंगः– आपका ऑनलाईन मेल दिनांक 12.12.2017 के संबंध में।

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि आप द्वारा जो आक्षेप प्राप्त हुए है पूर्ति कर पुनः आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. उक्त अनर्सेवेड भूमि मात्र एक ग्राम उंटिया की ही है।
2. प्रस्तावित भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ नहीं है यह मात्र कृषि उपयोग हेतु प्रस्तावित की गई है। अतः विस्थापित परिवारों को आवंटित भूमि सड़क,सामुदायिक सुविधाएं हेतु भूमि देना अपेक्षित नहीं है।
3. बिन्दू सं. 2 व 3 के मध्य किसी प्रकार की भूमि को नहीं छोड़ा जा गया है। यह वनभूमि से लगा हुआ है। अतः किसी प्रकार के अतिक्रमण की संभावना नहीं है। अतः प्रस्तुत प्रस्ताव में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।
4. जीटीशिट 1:50000 स्केल पर अंकित कर पूर्व में भेजी जा चूकी है।
5. प्रतिउत्तर बिन्दू संख्या 3 के अनुसार पढ़ा जावें।
6. पूर्व में सलंग्न कर प्रस्तुत की जा चूकी है एवं वनभूमि प्रत्यावर्तन औचित्यता प्रमाण पत्र सलंग्न है।
7. विस्थापन योजना रिहेबीलीटेशन प्रस्ताव के अन्तर्गत नहीं है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त प्रकरण का पुर्नपरिक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करावे।
सलंग्न :– प्रमाण पत्र।

(के.एल.रोत)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड–प्रथम डूँगरपुर

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड–प्रथम डूँगरपुर

प्रमाण पत्र

वनभूमि प्रत्यावर्तन के औचित्यता प्रस्ताव

बोर का भाटड़ा लघु सिंचाई परियोजना का कार्य माननीय मुख्यमंत्री महोदय के डूँगरपुर जिले के भ्रमण अवधि दिनांक 25.04.2006 से 28.04.2006 के दौरान घोषणा की गई थी जिसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृती दिनांक 18.07.2006 को राशि रू. 275.93 लाख की जारी की गई थी, बांध की भराव क्षमता 23.74 MCFT एवं CCA 134 हैक्टयेर है। इस बांध के डूब क्षेत्र से विस्थापित कास्तकारों को यदि प्रति किसान एक–एक बीघा, कुल 6.5 हैक्टेयर भूमि आवंटित की जाती है तो बांध निर्माण में आई बाधा को दूरकर परियोजना को पुनः प्रारंभ कर पूर्ण किया जा सकता है जिससे कुल 6 गांवों के कास्तकारों की कुल 134 हैक्टयेर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी।

(के.एल.रोत)
अधिशाषी अभियन्ता
जल संसाधन खण्ड–प्रथम डूँगरपुर